

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2023/412

मुकदमा नम्बर 157/2023

दायर दिनांक-07.12.2023

1. ताराचन्द पुत्र रामदेवाराम
2. मनीराम पुत्र रामदेवाराम
3. हरीराम पुत्र रामदेवाराम
4. निवास पुत्र फूलचन्द
5. भगवानी देवी पत्नी गोपीराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम घोडीवांरा खुर्द, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
6. सुप्यार देवी पुत्री गोपीराम
7. भगवानी देवी पत्नी गोपीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घोडीवांरा खुर्द, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

..... वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गोपीराम
2. जयराम पुत्र गोपीराम
3. देवकरण पुत्र गोपीराम, जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम घोडीवांरा खुर्द तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
4. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ़ हाल बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा – विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा

प्रतिनिधत्व:-

वकील वादी- श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़
प्रतिवादी – एक पक्षीय

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 18-12-2024

वाद वादी दिनांक 29/04/2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2024/4054 दिनांक 24/09/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

.....
नवलगढ़ जिला
नवलगढ़ (झुझुनू)

वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ...1.8.2024... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला- झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023/412

मुकदमा नम्बर 157/2023

दायर दिनांक-07.12.2023

(ताराचन्द वगै0बनाम जगदीश वगै0)

दावा – विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 29/04/2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2024/4054 दिनांक 24/09/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 18 माह 12 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिशनर	-	फीस कमिशनर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-